

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 7(50) परि/नियम/मु./11/99/ 4572 जयपुर, दिनांक- 10-3-2023

कार्यालय आदेश 7 /2023

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 24 से 31ए तक नवीन मोटर ड्राइविंग स्कूलो को मान्यता प्रदान किये जाने, लाईसेंस जारी किये जाने एवं उनके विनियमन के प्रावधान दिये गये हैं। उक्त प्रावधानों के तहत राज्य में मोटर ड्राइविंग स्कूलो को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। इन मोटर ड्राइविंग स्कूल द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण के एवज में ली जा रही शुल्क राशि एतद द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

क्र.स.	प्रशिक्षण वाहन का प्रकार	अधिकतम राशि
1.	हल्का मोटर यान	2500/-
2.	भारी परिवहन यान	5000/-

क०प
(कन्हैया लाल स्वामी)

आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 7(50) परि/नियम/मु./11/99/ 4573 - 79

जयपुर, दिनांक-
10-3-23

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
5. समस्त प्रादेशिक/अति.प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
6. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को अपलोड करने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली।

क०प
आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग